

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/एल.आर./8070/2007/दौसा

- 1— चिरंजीलाल पुत्र पालू (पाल्या)
- 2— श्रीमती फूला पत्नी चिरंजीलाल
- 3— पाल्या पुत्र नानगा
समस्त निवासीगण कानपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
- 4— चौथी पत्नी बरदू जाति मीणा निवासी बड़ागाव (भौजपुरा) तहसील दौसा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

- 1— राजेन्द्र कुमार पुत्र नारायण तथा कथित दत्तक पुत्र भूरा राम
- 2— नारायण पुत्र नानगा
- 3— इन्द्रया पुत्र नानगा
समस्त जाति मीणा निवासी कानपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
- 4— राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य

उपस्थित :

श्री समीर अहमद, अभिभाषक प्रार्थी
श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक:—02.06.2026

- 1— हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-84 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के अपील संख्या 81/05 निर्णय दिनांक 18-08-2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।
- 2— प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 4 ने आराजी वर्णित नामान्तरकरण को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 22-03-1999 को खातेदार भूरा पुत्र नानगा से खरीद किया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 19-04-1999 को प्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 4 के हक में तस्दीक किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने उक्त नामान्तरकरण के खिलाफ जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिस पर जिला कलेक्टर दौसा ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने विस्तृत निर्णय दिनांक 30-09-2002 से अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की अपील खारिज करते हुए नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 19-04-1999 को यथावत रखा जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील निर्णय दिनांक 18-08-2007 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 19-04-1999 वाकै ग्राम कानपुरा तहसील दौसा एवं प्रथम अपील जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 30.09.2002 निरस्त करते हुए तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे अपीलार्थी को सुनकर प्रश्नगत भूमि के कब्जे के संबंध में जांच कर विधि के प्रावधानों के अनुसार नामान्तरकरण का निर्णय पुनः करें, जिससे व्यथित प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में अभिकथन किया कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय विधि के तथ्यों एवं प्रक्रिया के खिलाफ होने की वजह से निरस्तनीय है क्योंकि विद्वान अधीनस्थ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना चाहिए था कि अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार को कोई अपील करने का अधिकार था या नहीं। प्रार्थी ने यह बात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखी गई व इस संबंध में आर आर डी-1998 पेज सं. 553 पर प्रतिपादित सिद्धान्त भी अर्ज किया गया बावजूद अधीनस्थ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने कानून के खिलाफ उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने स्वयं माना है कि राजस्व न्यायालय दत्तक पुत्र होने का कोई निर्णय नहीं कर सकता और विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त भी है, उसके बावजूद भी उक्त निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। जहां तक कब्जे की जांच किए जाने के लिए प्रकरण अधीनस्थ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया है उसमें अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम तो यह देखना चाहिए था कि कब्जे के संबंध में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार का क्या प्रमाण था तथा दूसरी तरफ जब अप्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 4 के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र था जिसके द्वारा उक्त भूमि के खातेदार ने कब्जा दिया है साथ ही समक्ष न्यायालय के निर्णय के बावजूद इन सब की अनदेखी करके विधि के खिलाफ निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है।

4— इसके अलावा प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आर.आर.डी. 1996 पेज 587 पर प्रतिपादित सिद्धान्त को भी प्रस्तुत किया जिसमें कि यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हो व उसमें कब्जा देने का उल्लेख हो तो ऐसी स्थिति में कब्जे के संबंध में आपत्ति नहीं की जा सकती उसके बावजूद अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उक्त निर्णय कानून से विपरीत जाकर करने में त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी निगरानी स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर दिनांक 18-08-2007 निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 19-04-1999 वाकै ग्राम कानपुरा तहसील दौसा एवं निर्णय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 30-09-2002 को बहाल रखा जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि भूरा राम के नाम दर्ज थी तथा राजेन्द्र कुमार भूरा राम का दत्तक पुत्र है और भूमि पर कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार का ही है क्योंकि भूरा राम वृद्ध एवं अन्धा था एवं उसके जीवनकाल से ही कोपार्शनर की हैसियत से भूरा का दत्तक पुत्र राजेन्द्र कुमार काश्त करता था लेकिन प्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 4 ने भूरा से कपट एवं धोखे से भूमि का विक्रय पत्र पंजीकृत करवा लिया और विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण नायक तहसीलदार द्वारा बिना जांच किए स्वीकृत करने में त्रुटि की थी, जिसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा अपने निर्णय दिनांक

18-08-2007 द्वारा निरस्त करते हुए विधिसम्मत एवं न्यायोचित निर्णय पारित करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय की पुष्टि करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी खारिज की जावे।

6— उभय पक्ष के काबिल अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का आद्योपांत अध्ययन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि भूरा पुत्र नानदा जाति मीणा के द्वारा चिरंजी पुत्र पालू मीना, फुला पत्नी चिरंजी मीना एवं चौथी पत्नी बरदू मीना को विवादित भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया जिसका उप पंजीयक, दौसा के कार्यालय में दिनांक 22.03.1999 को विधिवत पंजीयन किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 74 भूरा के स्थान पर चिरंजी लाल पुत्र पालू, फूला पत्नी चिरंजी लाल एवं चौथी पत्नी बरदू मीना के नाम पर भरा गया जिससे नायब तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक 19.04.1999 को स्वीकृत किया गया। नायब तहसीलदार दौसा ने उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय यह उल्लेख किया कि पटवारी हल्का के मुताबिक बयनामा क़ेतागण का मौके पर कब्जा होना और किसी तरह का विवाद नहीं होना बताया है। ग्राम पंचायत धारीवास द्वारा उक्त नामान्तरकरण को नहीं करना चाहती है। अतः रिपोर्ट पटवारी / I.L.R. मुताबिक बयनामा नामान्तरकरण स्वीकार है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।

7— नायब तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 74 स्वीकार करने के विरुद्ध नामान्तरकरण की अपील अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष किये जाने पर जिला कलेक्टर दौसा के द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया कि श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा दत्तक पुत्र होने के लिए रजिस्टर्ड गोद पत्र प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उसके इस कथन की पुष्टि होती हो। पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोंडेंट का कब्जा होना एवं कोई विवाद नहीं होने का इन्द्राज नामान्तरकरण पर किया गया है। पंचायत के प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 15.04.1999 पुस्त पर चस्पा का नोट अंकित किया गया है लेकिन प्रस्ताव चस्पा नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्पष्ट है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच गिरदावर हल्का द्वारा भी की गई। गिरदावर हल्का के जांच के हस्ताक्षर नामान्तरकरण पर मौजूद है। श्री राजेन्द्र कुमार का नाम खातेदारी में इन्द्राज नहीं है। नोटिस दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अपीलांत द्वार सुनवाई / साक्ष्य का समुचित अवसर दिए जाने का कथन सही प्रतीत नहीं होता है। मौके जांच करवाने पर क़ेतागणों का कब्जा होना तथा कोई विवाद नहीं होने पर ही नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलांत द्वारा मौके की जांच कर कब्जा नहीं सँभलाने का कथन तर्कयुक्त नहीं है। जहाँ तक रजिस्ट्री फर्जी होने का संबंध है, इसके लिए सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरकर तस्दीक किया गया है। किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है और इस आधार अपील खारिज योग्य पाये जाने से जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा नामान्तरकरण अपील दिनांक 19.04.1999 को खारिज कर दी गई।

8— जिसके विरुद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील की गई जिसमें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया कि प्रश्नगत भूमि अभिलिखित खातेदार भूरा राम ने पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की है। दूसरी ओर अपीलान्त का यह दावा है कि वह खातेदार भूराराम का दत्तक पुत्र होने के कारण भूमि पर काबिज था तथा अब भी काबिज है। अपीलार्थी की ओर से अभिमत है कि तथाकथित विक्रय पत्र धोखा एवं जालसाजी से हुआ है तथा उसको निरस्त कराने का

एक वाद व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण पर निर्णय करने से इस आधार पर मना कर दिया कि प्रकरण में विवाद है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ने प्रकरण को निर्णय करने के लिए तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में भूमि के कब्जे के संबंध में विवाद था और विवाद होने की स्थिति में कब्जे के संबंध में जांच की जानी आवश्यकता थी कि विक्रय की गई भूमि पर क्रेता काबिज है या अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा है, जैसा कि अपीलार्थी अपने कब्जे का दावा कर रहा है। कब्जे के तथ्य के अभिनिर्धारण के बिना किये गये नामान्तरकरण को विधिसम्यक नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 19.04.1999 वाके ग्राम कानपुरा, तहसील दौसा एवं प्रथम अपील में जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 30.09.2002 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे अपीलार्थी को सुनकर प्रश्नगत भूमि के कब्जे के संबंध में जांच कर विधि के प्रावधानों के अनुसार नामान्तरकरण का निर्णय पुनः करें।

9— इसके अलावा पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि राजेन्द्र कुमार मीना एवं नारायण मीना के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि के क्रेतागण चिरंजी लाल पुत्र पालू, फूला पत्नी चिरंजीलाल, चौथी पत्नी बरदू और पाल्या, इन्दरया, भूरया पिता नानगा के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर, दौसा के समक्ष एक दावा अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दिनांक 01.07.1999 को प्रस्तुत किया गया। जिसका दिनांक 19.06.2004 को सहायक कलेक्टर ने यह निर्णय दिया कि वादी राजेन्द्र कुमार अपने आप को भूरया का दत्तक पुत्र बताता है व तदनुसार भूरया की आराजी में बतौर पुत्र हक चाहता है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि वादी भूरया का दत्तक पुत्र है या नहीं यह तय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। दत्तक पुत्र होने या न होने के पश्चात ही भूरया के 1/4 हिस्से में से राजेन्द्र कुमार का खातेदारी अधिकार तय होगा। यह भी कि भूरया के हिस्से का विक्रय पत्र जो अप्रार्थीगण संख्या 4 व 6 के हक में लिखा गया है, पर भी कोई टिप्पणी करने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय से अपने हक तय करा सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के द्वारा दिनांक 18.08.2007 से निर्णय पारित करने से पूर्व ही राजेन्द्र कुमार के द्वारा प्रस्तुत दावे का सहायक कलेक्टर, दौसा के द्वारा निर्णय कर दिया गया और राजेन्द्र कुमार का दावा अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज करते हुए डिक्री कर दिया किन्तु राजेन्द्र कुमार के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त से इस तथ्य को छुपाया। इस प्रकार वह न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पास क्लिन हैण्ड से नहीं गया और उसने खुद के विरुद्ध हुए निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर, दौसा न्यायालय से अवगत नहीं कराया। यदि उसके द्वारा सहायक कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 19.06.2004 से अवगत कराया होता तो संभव था न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा भिन्न निर्णय लिया जाता किन्तु राजेन्द्र कुमार के द्वारा न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है जो उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है।

10— इस न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी के साथ शपथ पत्र संलग्न करते हुए न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक, बांंदीकुई मुख्यालय दौसा के सिविल वाद संख्या 13/2007 उनवान नारायण पुत्र नानगा एवं राजेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र भूरा बनाम पाल्या पुत्र

नानगा, इन्दरया पुत्र नानगा, चिरंजी पुत्र पालू, फूला पत्नी चिरंजी और चौथी पुत्री भूरा के निर्णय दिनांक 06.11.2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसके अवलोकन करने पर हम यह पाते हैं कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक, बां दीकुई ने उनके समक्ष विचाराधीन वाद में यह तनकी कायम की गई कि क्या स्वर्गीय श्री भूरया ने वादी कम 2 राजेन्द्र कुमार को बसंत पंचमी संवत् 2039 को गोद लिया? इस तनकी को निर्णित करते हुए न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इस विवाद्यक को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। पत्रावली पर प्रतिवादीगण की ओर से कोई स्वीकारोक्ति नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सकता हो कि वादी कम 2 को श्री भूरया ने बसंत पंचमी संवत् 2039 को गोद लिया। इस तनकी को निर्णित करते हुए न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि वादीगण ने इस विवाद्यक को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। पत्रावली पर प्रतिवादीगण की ओर ऐसी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सकता हो कि वादीगण कम संख्या 2 राजेन्द्र कुमार को स्वर्गीय श्री भूरया ने बसंत पंचमी के संवत् 2039 को गोद लिया हो। इस विवाद्यक का निर्णय वादीगण के विपक्ष में किया गया। न्यायालय ने तनकी संख्या 2 यह कायम कि क्या वादग्रस्त सम्पत्ति श्री भूरिया की पैतृक सम्पत्ति थी और इसमें वादी कम संख्या 2 का हक एवं हिस्सा है? इस तनकी के विनश्चय में न्यायालय ने उल्लेख किया है कि इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार भी वादीगण पर था। इस विवाद्यक को प्रमाणित करने के लिए स्वयं वादी राजेन्द्र कुमार साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ है और उसने यह प्रमाणित नहीं किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति में उसका भी हक एवं हिस्सा है। ऐसी स्थिति में इस विवाद्यक का निर्णय भी वादीगण के विपक्ष में किया गया।

11— न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक, बां दीकुई मुख्यालय दौसा ने तनकी संख्या 3 यह कायम कि क्या प्रतिवादी कम संख्या 3 से 5 ने वादग्रस्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र दिनांक 22.03.1999 श्री भूरया की स्वतंत्र सहमति के बिना, बिना प्रतिफल के कपटपूर्ण अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया और इस कारण यह अवैध एवं शून्य है? इस तनकी के संबंध में न्यायालय का यह निष्कर्ष रहा कि इस विवाद्यक को प्रमाणित करने के लिए वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त तथ्यों के संबंध में भी किसी प्रकार की कोई स्वीकृतियां प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह विवाद्यक भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। इसलिए इसका निर्णय वादीगण के विपक्ष में किया गया। न्यायालय ने तनकी संख्या 4 इस तरह कायम की गई कि क्या वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी अन्य को किसी भी रूप में अन्तरण नहीं करे और वादी कम संख्या 2 के कब्जे काशत में बाधा उत्पन्न नहीं करे? इस तनकी के निर्णय में न्यायालय ने उल्लेख किया कि इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार भी वादीगण पर था। वादी कम संख्या 2 राजेन्द्र कुमार वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना आधिपत्य साबित करने के लिए साक्ष्य में नहीं आया है। ऐसी स्थिति में यह विवाद्यक वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने 10 और तनकियात कायम की गई जो सभी वादीगण के विपक्ष में तय की गई और वादीगण नारायण पुत्र नानगा, राजेन्द्र कुमार मीणा कथित दत्तक पुत्र भूरा राम मीणा का वाद बाबत दत्तक की घोषणा, विक्रय पत्र निरस्तीकरण की घोषणा, नामान्तरकरण को अवैध और शून्य घोषित करने संबंधी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया और वादीगण के विरुद्ध डिक्री जारी कर दी गई।

12— उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हम पाते हैं कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण के नाम पर नामान्तरकरण के कब्जे के बिन्दु पर जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय को निरस्त किया जाना विधिक आदेश नहीं था। राजस्थान भू-अभिलेख नियम 133(ग) के अनुसार जहाँ क्रेता और विक्रेता ने रजिस्टर्ड के विक्रय पत्र में कब्जे के आदान-प्रदान का उल्लेख कर दिया गया हो वहाँ पर कब्जे का कोई विवाद नहीं रह जाता है और क्रेतागण का कब्जा माना जाता है इसलिए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा विधि एवं तथ्यों के विपरीत जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है और काबिल निरस्तनीय है। अपीलांत राजेन्द्र कुमार ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त से उसके विरुद्ध सहायक कलेक्टर, दौसा के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के तथ्यों को भी छुपाया है और राजेन्द्र कुमार ने इस न्यायालय के समक्ष भी उसके विरुद्ध हुए निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर, दौसा के तथ्य को छुपाया है। यही नहीं उसके विरुद्ध न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक, बां दीकुई मुख्यालय दौसा के निर्णय दिनांक 06.11.2008 के तथ्य को भी छुपाया है। इस प्रकार राजेन्द्र कुमार ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष क्लिन हैण्ड से नहीं आया है और उसने दोनों न्यायालयों को गुमराह किया है और न्यायालय का अनावश्यक रूप से समय एवं शक्ति नष्ट की है और रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से भूमि क्रय करने वाले क्रेतागण निगरानीकर्ताओं को जिला कलेक्टर दौसा, सहायक कलेक्टर दौसा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर, अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक, बां दीकुई मुख्यालय दौसा एवं राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालयों में कानूनी लड़ाई लड़ने को बाध्य किया गया जिसके लिए उस पर भारी शास्ति आरोपित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 18.08.2007 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 19.04.1999 वाकै ग्राम कानपुरा तहसील दौसा एवं निर्णय जिला कलेक्टर दौसा 30.09.2002 को बहाल रखा जाता है। इसके साथ ही वादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद करने वाले क्रेतागण चिरंजी पुत्र पालू मीना, फुला पत्नी चिरंजी मीना एवं चौथी पत्नी बरदू मीना को बतौर हर्जा खर्चा प्रत्येक को 15,000/- रुपए कुल 45,000/- अदा किए जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं न्यायालयों का अनावश्यक रूप से समय जाया करने के लिए 10,000/- रुपए की शास्ति अलग से लगाई जाती है। उक्त हर्जा खर्चा एवं शास्ति राजेन्द्र कुमार पुत्र नारायण तथा कथित दत्तक पुत्र भूरा राम अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा 1 माह के भीतर अदा की जाएगी एवं उसकी रसीद इस न्यायालय में जमा कराई जाएगी। हर्जा खर्चा अदा करने एवं शास्ति जमा कराने की रसीद प्रस्तुत नहीं करने की दशा में अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी। अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार के द्वारा इस आदेश की अनुपालना किए जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य